



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102025-266629  
CG-DL-E-03102025-266629

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4379]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 3, 2025/आश्विन 11, 1947

No. 4379]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 3, 2025/ASVINA 11, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2025

सं. 31/2025-26

विषय: आइटीसी (एचएस), 2022, की अनुसूची II (निर्यात नीति)के परिशिष्ट-3 के अंतर्गतस्कोमेट सूची के संशोधन के संबंध में अधिसूचना।

का.आ. 4505(अ).— विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 और धारा 14क के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और पैरा 2.01 के अनुसार केन्द्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-II (निर्यात नीति) के परिशिष्ट-3 (स्कोमेट मदों की सूची) में एक संशोधन को अधिसूचित करती है:

2. संशोधित परिशिष्ट-3 (स्कोमेट मदों की सूची), जैसा कि संलग्न है, डीजीएफटी वेबसाइट (<https://dgft.gov.in>) पर “विनियामक अद्यतन सूचनाएं” शीर्षक और “आयात, निर्यात और स्कोमेट नीति” उपशीर्षक के अंतर्गत अपलोड किया जाएगा।

3. उद्योग हितधारकों को पर्याप्त ट्रांजीशन समय देने के लिए, यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिनों के बाद लागू होगी।

**इस अधिसूचना का प्रभाव:** अनुसूची-II के परिशिष्ट-3 में स्कोमेट सूची को बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के अनुरूप अद्यतन किया गया है। संशोधित स्कोमेट सूची इस अधिसूचना की तिथि से 30 दिनों के बाद प्रभावी होगी।

[फा. सं. 01/91/171/37/एएम-10/ईसी(एस)]

अजय भादू, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**नोट:** पिछली स्कोमेट अधिसूचनाएँ हैं - अधिसूचना संख्या 05 दिनांक 24 अप्रैल 2017, अधिसूचना संख्या 13 दिनांक 28 जून 2017, अधिसूचना संख्या 29 दिनांक 21 सितंबर 2017, अधिसूचना संख्या 17 दिनांक 3 जुलाई 2018, अधिसूचना संख्या 04 दिनांक 24 अप्रैल 2019, अधिसूचना संख्या 10 दिनांक 11 जून 2020, अधिसूचना संख्या 47 दिनांक 20 दिसंबर 2021, अधिसूचना संख्या 46 दिनांक 30 नवंबर 2022, अधिसूचना संख्या 27 दिनांक 28 अगस्त 2023, अधिसूचना संख्या 25 दिनांक 02 सितंबर 2024.

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2025

No. 31/2025-26

**Subject: Notification on Revision of SCOMET List under Appendix-3 of Schedule-II(Export Policy), ITC(HS), 2022 -regarding.**

**S.O. 4505(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 and Section 14A of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, and in accordance with Para 1.02 and Para 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby notifies an amendment to Appendix-3 (List of SCOMET Items) of Schedule-II (Export Policy) of ITC(HS) 2022.

- The revised Appendix-3 (List of SCOMET Items), as annexed, will be uploaded on the DGFT website (<https://dgft.gov.in>) under the heading “Regulatory Updates” and sub-heading “Import, Export and SCOMET Policy.”
- To allow adequate transition time for industry stakeholders, this Notification shall come into force 30 days from the date of issuance.

**Effect of this Notification:** The SCOMET List in Appendix-3 of Schedule-II has been updated in line with multilateral export control regimes. The revised SCOMET List shall come into effect 30 days from the date of this Notification.

[F. No. 01/91/171/37/AM10/EC(S)]

AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade & Addl. Secy

**Note:** Previous SCOMET Notifications are - Notifications No. 05 dated 24<sup>th</sup> April 2017, Notification No. 13 dated 28<sup>th</sup> June 2017, Notification No. 29 dated 21<sup>st</sup> September 2017, Notification No. 17 dated 3<sup>rd</sup> July 2018, Notification No. 04 dated 24<sup>th</sup> April 2019, Notification No. 10 dated 11<sup>th</sup> June 2020, Notification No. 47 dated 20<sup>th</sup> December 2021, Notification No. 46 dated 30<sup>th</sup> November 2022, Notification No. 27 dated 28<sup>th</sup> August 2023, Notification No. 25 dated 02<sup>nd</sup> September 2024